

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प035/2018/30

दिनांक : 9/04/2018

--: आदेश :-

शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1(1)/चिस्वा/2/2014-गर्ट दिनांक 09.11.2017 के अनुसरण में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम-1963 के नियम 26 में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत डॉक-एण्ड-इन्टरव्यू द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर आवश्यक तदर्थ आधार (Urgent Temporary Basis) पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी का अनुमोदन एतद् द्वारा किया जाता है :-

क्र. सं.	जिला	चिकित्सक का नाम व पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	वर्ग	लिंग	पदस्थापन स्थान
1	उदयपुर	डॉ० पिंकी बालोटिया/श्री मोहनलाल बालोटिया	12.09.88		महिला	मु.चि. एवं स्वा. अधि. उदयपुर के अधीन
2		डॉ० रवि गुप्ता/श्री कल्याण चन्द गुप्ता	05.04.87		पुरुष	
3		डॉ० घनश्याम गुप्ता/श्री सत्य नारायण गुप्ता	10.11.87		पुरुष	
4		डॉ० राकेश शर्मा/श्री ज्ञानोत्तम	20.01.89		पुरुष	
5		डॉ० मनीषा/श्री अनाप सिंह	10.04.87		महिला	
6		डॉ० हेमलता मीणा/श्री आशा राम मीणा	13.01.91		महिला	
7		डॉ० गौरव शर्मा/श्री दाऊताज शर्मा	04.10.89		पुरुष	
8		डॉ० रवीन्द्र सिंह/श्री विद्येश्वर	01.11.91		पुरुष	
9		डॉ० अंकित शर्मा/श्री एक. शर्मा	08.06.91		पुरुष	
10		डॉ० राजन सिंह/श्री हरिसिंह	26.10.93		पुरुष	
11		डॉ० अजीत कुमार अलोरिया/श्री गोपाल अलोरिया	04.02.89		पुरुष	
12		डॉ० रामसिंह मीणा/श्री रामराज मीणा	04.07.92		पुरुष	
13		डॉ० राचिन चौधरी/श्री चौखाशम	28.12.87		पुरुष	
14		डॉ० अंकित यादव/श्री अरेश कुमार	20.08.93		पुरुष	
15		डॉ० दिशू सेठिया/श्री अम प्रकाश सेठिया	03.05.89			
16		डॉ० मुस्लिम मुलाहिद/श्री सिराज मो० अंसारी	30.06.89		पुरुष	
17		डॉ० अशोक कुमार बावलिया/श्री कल्लाराम बावलिया	10.07.91		पुरुष	
18		डॉ० राजकुमार/श्री रामपाल जार	05.09.87		पुरुष	
19		डॉ० दिनेश कुमार बामणिया/श्री अरेमोहन बामणिया	15.07.89		पुरुष	

20	उदयपुर	डॉ० प्रदीप मीणा / श्री हरलाल मीणा	03.11.91	पुरुष	मु.चि. एवं स्वा. अधि. उदयपुर के अधीन
21		डॉ० रमेश चन्द्र बैरवा / श्री गोपाल लाल	05.07.69	पुरुष	
22		डॉ० रजत कुमार योगी / श्री बालकृष्ण योगी	07.01.92	पुरुष	
23		डॉ० सुमित गिल / श्री हिम्मत सिंह गिल	01.07.80	पुरुष	
24	बीकानेर	डॉ० अकित गोदारा	25.05.93	पुरुष	मु.चि. एवं स्वा. अधि. बीकानेर के अधीन
25		डॉ० इरफान हुसैन	27.05.94	पुरुष	

शेष शर्तें शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(1)/वि.स्वा./ग्रुप-2/2014 दिनांक 04/10/14 के अनुसार रहेगी।

नोट :- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित को लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यग्रहण के समय अनिवार्य रूप से डिग्री उत्तरणात्सी का रजिस्ट्रेशन व अन्य प्रमाण पत्र की जांच करें तथा उपरोक्त अनुमोदन में जिन अभ्यर्थियों के प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन व चिकित्सा अधिकारी (रिक्त) है तो उनको कार्यग्रहण नहीं करावे।

*A9410*

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प035/2018/30

दिनांक : 09/04/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त, संबंधित / जिला कलेक्टर, संबंधित।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोड़-संबंधित।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित को भेजकर लेख है कि उक्त चयनित चिकित्सक को आपके अधीन लम्बे समय से आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त चल भदों पर पदस्थापन करते हुए कार्यग्रहण की सूचना 03 दिवस में अधो-हस्ताक्षरकर्ता को भिजवाना सुनिश्चित करें।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।
8. निजी/आदेश पत्रावली।

*A9410*

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।